UPMP010018882026

Presented on : 07-05-2026
Registered on : 11-05-2026
Decided on : 10-07-2026
Duration : 0 years, 2 months, 3 days

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी।
(Presided Over by Rupesh Ranjan)
Reg no 198/2026

-

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या– 58/2026

अयूब खाँ पुत्र सददीक खाँ निवासी आगरा रोड पुलिस चौकी के पास महमूद नगर थाना कोतवाली,जिला मैनपुरी।

..... प्रार्थी।

बनाम

बसीम आदि। ..... विपक्षीगण।

10.07.2026

1– पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सुना जा चुका है।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, ''वह उक्त सत्र परीक्षण में वादी है। उक्त पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 191/2017 अन्तर्गत धारा 302,504,34 भा0 दं0 सं. थाना कोतवाली जिला मैनपुरी विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी.एक्ट)मैनपुरी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पत्रावली में बहस हेतु दिनांक 08–05–2026 नियत है। दिनांक 01–05–2026 को प्रार्थी किसी कार्य हेतु हिन्दपुरम कालोनी गया था। प्रार्थी ने विपक्षीगणों को साहब के घर से निकलते हुए देखा था। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है। जज साहब विधि विरूद्ध तरीके से विपक्षीगण को लाभ दे सकते हैं। प्रार्थी को एस.सी/एस.टी.एक्ट के न्यायालय पर विश्वास नहीं है। उक्त आधार पर उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई है। "

3– प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगायी गयी। पीठासीन अधिकारी/ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी.एक्ट मैनपुरी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या दिनांकित 11–05–2026 प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार,'' वादी ने विपक्षीगण को प्रार्थी के घर से निकलते हुए देखा,पूर्णतः असत्य,मनगढ़न्त एवम अत्यन्त आपत्तिजनक है। आवेदक द्वारा किया गया उक्त कथन उसकी दूषित मानसिकता का द्योतक है। आवेदक कई अन्य न्यायालयों के पीठासीन

अधिकारी पर भी इसी तरह का आरोप लगाया है,जिसके कारण प्रस्तुत पत्रावली विगत काफी समय से बहस स्तर पर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानान्तरित होती रही है। आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप के प्रकाश में प्रार्थी इस पत्रावली की सुनवाई करने का इच्छुक नहीं है। आवेदक द्वारा न्यायालय पर लगाया गया आरोप अत्यन्त आपत्तिनजनक है। उक्त के संदर्भ में सत्यता की जॉच भी आवश्यक प्रतीत होती है और यदि आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप असत्य पाया जाता है तो आवेदक उक्त कृत्य के लिए दण्ड का भी भागी होना चाहिए। आवेदक द्वारा दिये जा रहे इस तरह के प्रार्थना–पत्र न्यायालय की गरिमा तथा व्यक्तिगत रूप से पीठासीन अधिकारी के सम्मान के भी प्रतिकूल है। ।''

4– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित हेाता है कि सत्र परीक्षण संख्या 191/2017 अन्तर्गत धारा 302,504,34 भा0 दं0 सं. थाना कोतवाली जिला मैनपुरी विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी.एक्ट) मैनपुरी के न्यायालय में विचाराधीन है। जिस तिथि (11–05–2026)को यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था,उस तिथि पर एस.सी/एस.टी.(पी.ए.एक्ट),मैनपुरी के पीठासीन अधिकारी श्री अच्छेलाल सरोज थे। माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के नोटिफिकेशन 1969/2026 के द्वारा श्री अच्छेलाल सरोज उक्त न्यायालय का पदभार छोड़ चुके ईं। ऐसी स्थिति में यह स्थानान्तरण याचिका अपने आप में ही निष्प्रभावी हो चुकी है।

यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित पीठासीन अधिकारी पर आवेदक द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं,उसका कोई भी तार्किक आधार उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बगैर किसी तर्कसंगत आधार के प्रस्तुत यह आवेदन कहीं से भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है,अपितु आवेदक बगैर किसी तर्कसंगत आधार के इस आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु दण्ड का भागी दृष्टिगत होता है।

अतएव आवेदक पर 100/–रूपए का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

रूपेश रंजन
जिला एवम सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.07.13 14:09:04 +0530